


## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

### कार्यालय आदेश

राजसन के पत्रांक राज्य सरकार का पत्रांक प.7(1)शिक्षा-2/तु श्रे अ स्थानान्तरण-11/ 2017 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 22/12/2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों का अन्तर्जिला स्थानान्तरण उनकी विशेष परिस्थितियों के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 12/01/2018 तक आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण कर लें।

SN	नाम	Post	Subject	कहाँ से	Distt	अनुमोदित स्थान	Distt
1	राजपाल बैस्वा नेत्रहीन	Teacher	Level I	राउमावि अनंतपुरा बहरोड़ अलवर	Alwar	राउमावि फोर्ट बीकानेर में लेवल 1 के रिक्त पद पर	Bikaner
2	किरण मीणा बच्चे को पैशालाईसिस से अटक	Teacher	Hindi	राउमावि भीलवाडा- नीचा, छबडा बारा	Baran	राउमावि सिविल लाईन्स कोटा	Kota
3	मंजुकुमारी शर्मा - पति की दोनो किडनी खराब है	Teacher	Level I	राउमावि किटनोद बालोतरा बाड़मेर	Bamer	राउमावि कंबेड़ी बागसूर अलवर	Alwar
4	जगदीशचन्द्र मीणा ब्रेन ट्यूमर	Teacher	Level I	रामावि चक भैसका, शिव, बाड़मेर	Bamer	राउमावि गोपालपुरा बिजालिया भीलवाडा	Bhilwara
5	हरवाई मीना विधवा महिला	Teacher	Level I	राउमावि सेमली नगर भरतपुर	Bharatpur	राउमावि लालपुर महवा दोसा	Dausa
6	रामगोपाल मीणा- 5 बच्चे पुत्र के दिल में छेद	Teacher	Social Science	राउमावि नाहरावाली घडसाना गंगानगर	Ganganaga r	राउमावि मण्डावर महुआ दोसा	Dausa
7	रामस्वरूप शर्मा हार्ट प्रेशेन्ट	Teacher	Level I	उमावि तेलोडा सायला जालोर	Jalore	राउमावि गगोरियाँ की ढाणी गोविन्दगढ जयपुर	Jaipur
8	संतोषकुमारी - तलाकमुदा एवं पुत्री सेरेब्रल्स पाल्सी रोगी	Teacher	Hindi	राउमावि समूजा जालोर	Jalore	राउमावि मेहरवास घोद सीकर	Sikar
9	सत्यकुमारी आर्य सास कैंसर रोगी	Teacher	English	रामावि तालचिडा नादीती करौली	Karoli	राउमावि खेजसोली गोविन्दगढ जयपुर	Jaipur
10	महेशचन्द्र शर्मा हार्ट रोगी	PTI	NA	विशनपुरा टोडाभीम करौली	Karoli	राउमावि खेहछाटी बस्सी जयपुर	Jaipur
11	सविता ठाका सेरीब्रल ब्रेन साइन्स रोगी	Teacher	Social Science	पीपलखूट प्रतापगढ	Pratapgarh	रामावि पलास फतेहपुर सीकर	Sikar

  
 23.12.2017

SN	नाम	Post	Subject	कहाँ से	Distt	अनुमोदित स्थान	Distt
12	नीतू शर्मा - बच्चा शैलीविनियम शोरी	Teacher	Maths	राबाउमावि सीदडा- निघई टोंक	Tonk	बुडाना झुंझुनु	Jhunjhunu
13	सुनीता देवी	Teacher	Hindi	राबाउमावि, नानोवाली, बावडी, खेतडी	Jhunjhunu	राबाउमावि, दुर्गापुरा, जयपुर	Jaipur

उक्त आदेशों में निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

- 1- स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान स्पष्ट रूप से रिक्त हो तो ही संस्था प्रधान कार्मिक को कार्यग्रहण करावें ।
- 2- शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की बरिष्ठता विलोपल की सहमति का सपथ पत्र लिया जाये अन्यथा कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण नहीं कराया जावे ।
- 3- शिक्षक को कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय अपनी बीमारी / परिस्थिति जिसके कारण स्थानान्तरण किया जा रहा है, से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे ।
- 4- शिक्षक के सेंटअप परिवर्तन नहीं हो ।
- 5- जो कार्मिक निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में नियुक्त हो, का स्थानान्तरण प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग के पत्रांक प.5(1)/प्रसु/सम/अनु-1 /2008 पार्ट दिनांक 09/10/2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिक को दिनांक 05/01/2018 के पश्चात् ही कार्यमुक्त / कार्यग्रहण करावें ।
- 6- संस्था प्रधान अध्यापक को 12/01/18 तक शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करावें
- 7- संस्था प्रधान अध्यापक को निर्धारित कार्यग्रहण दिनांक से एक दिन पूर्व तक शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त अध्यापक की बरिष्ठता निर्धारण के संबंध में निर्दिष्ट कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें ।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

कमांक :- शिपिस/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्था/बोल-1./17

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2 सम्बन्धित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 4 सम्बन्धित संस्था प्रधान / कार्मिक।

दिनांक 23.12.2017

(संयुक्त निदेशक)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर।

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


### कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक राज्य सरकार का पत्रांक प.7(1)शिक्षा-2/तृ श्रे अ स्थानान्तरण-11/2017 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 22/12/201 के क्रम में निर्मांकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों का अर्न्तजिला स्थानान्तरण उनकी विशेष परिस्थितियों के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 12/01/2018 तक आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण कर देंगे।

क्र	नाम	Post	विषय	कहाँ से	Distt	अनुमोदित स्थान	Distt
1	भीमसिंह महतो पिता हृदय रोगी बाईपास सर्जरी एवं प्रोस्टेट	PTI	NA	रतुमाधि बडी सरवा बांसवाडा.	Banswara	अजमेर ग्राह्वर/ फरासिया किसानगढ	Ajmer

उक्त आदेशों में निर्मांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

- 1- स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान स्पष्ट रूप से रिक्त हो तो ही संस्था प्रधान कार्मिक को कार्यग्रहण करावें।
- 2- शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरियता विलोपन की सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 3- शिक्षक को कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय अपनी बीमारी/परिस्थिति जिसके कारण स्थानान्तरण किया जा रहा है, से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे।
- 4- शिक्षक के सेटअप परिवर्तन नहीं हो।
- 5- जो कार्मिक निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में नियुक्त हो, का स्थानान्तरण प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं सम्बन्ध विभाग के पत्रांक प.5(1)/प्रसु/सम/अनु-1 /2008 पार्ट दिनांक 09/10/2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिक को दिनांक 05/01/2018 के पश्चात् ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें।
- 6- संस्था प्रधान अध्यापक को 12/01/18 तक शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करावें
- 7- संस्था प्रधान अध्यापक को निर्धारित कार्यग्रहण दिनांक से एक दिन पूर्व तक शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त अध्यापक की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में निर्दिष्ट कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।

  
( नथमल डिडेल)

आई.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक 23.12.2017

कमाक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्था/वोल-1./17

प्रतिलिपि:- निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2 सम्बन्धित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 4 सम्बन्धित संस्था प्रधान /कार्मिक।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर।

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


## कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक राज्य सरकार का पत्रांक प.7(1)शिक्षा-2/अनामिका मीणा-वशाशि/17 जयपुर दिनांक 12/10/2017 के क्रम में निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापकों का अन्तर मण्डल स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 12/01/2018 तक आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण कर लें।

S. N	नाम	Post/ Subject	वर्तमान पदस्थापन स्थान	Distt	स्थानान्तरित स्थान	Distt
1	अनामिका मीणा	वशाशि	राउमावि, छापोली, झुन्झुनू	Jhunjhunu	राउमावि, बैनाडा, बस्सी, जयपुर	Jaipur

उक्त आदेशों में निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर सम्बन्धित विषय का पद स्पष्ट रूप से रिक्त नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
2. यदि उक्त प्रकरण सीधी भर्ती से पदस्थापित परीवीक्षाधीन अध्यापक का है तो कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
3. ग्रामीण स्वैच्छया शिक्षा सेवा नियम से पदस्थापित शिक्षक को पदस्थापन नियमों के अनुसार ही कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण कराया जावे।
4. वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण के समय पूर्व मण्डल की वरियता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
5. वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण के समय अपनी बीमारी/परिस्थिति जिसके कारण स्थानान्तरण किया जा रहा है, से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे।
6. जो कार्मिक निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में नियुक्त हो, का स्थानान्तरण प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग के पत्रांक प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 09.10.2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिकों को दिनांक 05.01.2018 के पश्चात् ही कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करावे।


  
( नथमल डिडेल )  
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक 23.12.2017

कमाक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्था/वोल-1./17  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2 संबन्धित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 3 संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 4 संबन्धित संस्था प्रधान / कार्मिक।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

### कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक राज्य सरकार का पत्रांक प.7(1)शिक्षा-2/अनामिका मीणा-वशाशा/17 जयपुर दिनांक 12/10/2017 के क्रम में निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापकों का अन्तर मण्डल स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 12/01/2018 तक आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण कर लें।

S. N	नाम	Post/ Subject	वर्तमान पदस्थापन स्थान	Distt	स्थानान्तरित स्थान	Distt
1	प्रभुदयाल मीणा	व0शा0शि0	राउमावि, चावण्डिया नागौर	Nagore	राउमावि, माणकचौक, जयपुर	Jaipur

उक्त आदेशों में निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाये :-

- 1-स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर सम्बन्धित विषय का पद स्पष्ट रूप से रिक्त नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 2-यदि उक्त प्रकरण सीधी भर्ती से पदस्थापित परीवीक्षाधीन अध्यापक का है तो कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 3-ग्रामीण स्वैच्छया शिक्षा सेवा नियम से पदस्थापित शिक्षक को पदस्थापन नियमों के अनुसार ही कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण कराया जावे।
- 4-वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय पूर्व मण्डल की वरियता विलोपन की सहमति का शपथ-पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त तथा कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 5-वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय अपनी बीमारी/परिस्थिति जिसके कारण स्थानान्तरण किया जा रहा है, से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे।
- 6-जो कार्मिक निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में नियुक्त हों, का स्थानान्तरण प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग के पत्रांक प. 5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 09.10.2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिकों को दिनांक 05.01.2018 के पश्चात् ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावे।



( नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक 23.12.2017

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/स्था/बोल-1./17  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2 संबन्धित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 4 संबन्धित संस्था प्रधान /कार्मिक।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)